

## पूर्वोत्तर रेलवे

### रूचि की अभिव्यक्ति

निजी पार्सल कार्गो आपरेटरों द्वारा लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन/पार्सल एक्सप्रेस ट्रेनों के रेलवे बोर्ड के नीति के अर्न्तगत संचलन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

- 1.0 रेलवे बोर्ड द्वारा पीसमील यातायात को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से पार्सल कार्गो एक्सप्रेस /पार्सल एक्सप्रेस ट्रेनों के संचलन हेतु नीति जारी की गयी है।
- 1.1 पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन/पार्सल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचलन पूर्वोत्तर रेलवे पर स्थित बस्ती, कानपुर कूपरगंज, गोमती नगर, झूसी, पड़रौना, बाजपुर, हल्दी रोड तथा कासगंज पार्सल टर्मिनलों/गुड्स शेडों से रेलवे बोर्ड द्वारा भारतीय रेल पर विभिन्न 105 नामित स्टेशनों के मध्य किया जा सकता है।
- 2.0 **नीति का उद्देश्य**:- रेल द्वारा उपलब्ध माल परिवहन क्षमता के अधिकाधिक दोहन हेतु कुशल निजी आपरेटरों द्वारा पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन/पार्सल एक्सप्रेस ट्रेनों के संचलन से त्वरित माल परिवहन सेवा उपलब्ध कराना।
- 3.0 **नीति के प्रमुख बिन्दु**:-
  - 3.1 **ट्रेन की संरचना**:- न्यूनतम 20 पार्सलवान + 1 ब्रेकवान।
  - 3.2 **आवेदक की पात्रता के मानदण्ड**:- विगत 3 वित्तीय वर्षों में औसत वार्षिक टर्न ओवर रू० 10 करोड़।
  - 3.3 **अर्नेस्ट मनी**:- निविदाकार को रू० 10 लाख निविदा प्रपत्रों के साथ जमा करना होगा।
  - 3.4 लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन/पार्सल एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालक निविदा के स्वीकृत होने की दशा में निर्धारित प्रति फेरा भाडे का अग्रिम भुगतान रेलवे को करेंगे तथा वे आपसी तयशुदा दरों पर विभिन्न पार्टियों के माल की बुकिंग कर सकेंगे।

4 **नोट**—पूर्ण विवरण के लिये रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित पत्रों को रेलवे बोर्ड की वेब साइट [www.indianrailways.gov.in](http://www.indianrailways.gov.in) पर डाउन लोड कर देखें।

- (क) 2007/टीसी(एफएम)/10/3 दि० 20.02.2007 एफ० एम० सर्कुलर सं० 2/2007
- (ख) 2005/टीसी(एफएम)/11/4 दि० 23.06.2010 एफ० एम० सर्कुलर सं० 17/2010
- (ग) 2007/टीसी(एफएम)/11/03 दि० 22.10.2012 एफ० एम० सर्कुलर सं० 22/2012
- (घ) 2005/टीसी(एफएम)/11/04 दि० 11.10.2013

5 इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण एवं अन्य जानकारी हेतु निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता है :-

- (i) उप मुख्य दावा अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, दूरभाष सं० 9794840954, ई-मेल [dycco.ner@gmail.com](mailto:dycco.ner@gmail.com)
- (ii) सहायक वाणिज्य प्रबन्धक/एफएमएसआर, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर दूरभाष सं० 9794840963, ई-मेल [acmfmsr.ner@gmail.com](mailto:acmfmsr.ner@gmail.com)
- (iii) वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी।

इच्छुक पार्टियों अपनी रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of interest) मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को सम्बोधित कर प्रेषित कर सकती है, जिसके आधार पर निविदा जारी की जा सकेगी।

# NORTH EASTERN RAILWAY

## EXPRESSION OF INTREST

Expression of intrest is invited from Private Parcel Cargo Operators for running of leased Parcel Cargo Express trains/Parcels Express trains under Railway Board's policy.

1. Railway Board has issued policy for Parcel Cargo Express Trains/Parcel Express Train to facilitate the piecemeal traffic.
  - 1.1 Parcel Cargo Express Train /Parcel Express trains can be operated in between Basti,Kampur Cooperganj,Gomti Nagar, Jhusi, Padrauna, Bazpur, Haldi Road and Kasganj Parcel Terminals/Goods Sheds situated over N.E.Railway to various 105 terminals /Goods sheds notified by Railway Board.
2. **Object of policy** : Maximum utilization of the potential of transportation through Private Cargo Operators to provide speedy transportation of Goods by running of Parcel Cargo Express Trains/Parcel Express Trains.
3. **Main features of the policy:-**
  - 3.1 **Composition of Trains**-Minimum 20 Parcel vans+1 Brake Van
  - 3.2 **Eligibility**:- Minimum average turn over of Rs. 10 Crores per annum for the last 3 financial year.
  - 3.3 **Earnest Money**:- Rs. 10 Lakhs with Tender Form.
  - 3.4 On acceptance of the tender the operators has to pay full per trip freight in advance at accepted rates and they can book consignments of various parties on mutually decided rates.
4. **Note**-For details please go through Railway Board's references as under which are available on Raiway Board's web site [www.indianrailways.gov.in](http://www.indianrailways.gov.in)
  - (A) 2007/TC(FM)/10/3 dt.20.02.2007 FM Circular No. 2 /2007.
  - (B) 2005/TC(FM)/11/4 dt. 23.6.2010, FM Circular No.17 /2010
  - (C) 2007/TC(FM)/11/03 dt. 22.10.2012, FM Circular No.22 /2012
  - (D) 2005/TC(FM)/11/4 dt. 11.10.2013
5. For any clarification or information parties may contact:-
  - (i) Dy.CCO, N.E.Railway, Gorakhpur Mb.No. 9794840954, E-mail [dycco.ner@gmail.com](mailto:dycco.ner@gmail.com).
  - (ii) ACM/FMSR,N.E.Railway, Gorakhpur Mb.No.9794840963, E-mail [acmfmsr.ner@gmail.com](mailto:acmfmsr.ner@gmail.com).
  - (iii) Sr.DCM, N.E.Railway, Izzatnagar, Lucknow, Varanasi.

Intrested parties may send their expression of interest addressisng to Chief Comml. Manager, N.E.Railway, Gorakhpur. After that tender notification will be published/issued.